282 (म–1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०/91/2008–10

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 22 सितम्बर, 2010

भाद्रपद 31, 1932 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

सर्तकता अनुभाग–4

संख्या 2339/39-4–2010-21-05

लखनऊ, 22 सितम्बर, 2010

अधिसूचना

प०आ० 597

चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार के सर्तकता विभाग के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान एक ऐसा संगठन है जो अभिसूचना संकलित करने, दाण्डिक अपराधों की विवेचना करने और समुचित न्यायालय में अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप–पत्र दाखिल करने का कार्य करता है, जिसके लिये शीर्ष गोपनीयता एवं पूर्वावधानियां आवश्यक हैं और ऐसे प्रकरणों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक स्तर पर, विवेचना के स्तरों तथा अभियोजन के स्तरों पर भी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना दिये जाने से विवेचना की प्रक्रिया एवं अपराधियों के अभियोजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

और, चूँकि, उत्तर प्रदेश सर्तकता अधिष्ठान उत्तर प्रदेश सरकार के सर्तकता विभाग के अधीन सीधे कार्य करता है

अतएव, अब सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22 सन् 2005) की धारा 24 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल विनिर्दिष्ट करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के सर्तकता विभाग तथा उसके संगठन अर्थात् सतर्कता अधिष्ठान पर उक्त अधिनियम के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

आज्ञा से,

कुंवर फतेह बहादुर,

प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification no. 2339/XXXIX-4-2010-21-05, dated September 22, 2010:

No. 2339/XXXIX-4-2010-21-05

Dated Lucknow, September 22, 2010

WHEREAS the Uttar Pradesh Vigilance Establishment is an Organization set up under the Vigilance Department of Uttar Pradesh Government which *inter alia* functions to collect intelligence, investigate criminal offences and file chargesheet against the accused in the appropriate court, requiring top secrecy and precautions and in the matter of such cases giving any information under the Right to Information Act, 2005 at the initial stage, investigation stages and even at prosecution stages would adversely affect the process of investigation and prosecution of offenders; and whereas the Uttar Pradesh Vigilance Establishment functions directly under the control of the Vigilance Department of Uttar Pradesh Government;

NOW, THEREFORE, in exercise in powers under sub-section (4) of section 24 of the Right to Information Act, 2005 (Act no. 22 of 2005), the Governor is pleased to specify that the provisions of the said Act shall not apply to the Vigilance Department of the Uttar Pradesh Government and its Organization i.e. Vigilance establishment.

By order,

KUNWAR FATEH BAHADUR,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 581 राजपत्र (हि०)-(1195)-2010-597+21+100=699 प्रतियां-(कम्प्यूटर / आफसेट)।

581 RPH Data 7